रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना

प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 1007/26-2-2012-पें0यो0 (830)/12 दिनांक 09 जुलाई, 2012 के माध्यम से रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले ऐसे परिवार जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा की (बी0पी0एल0) सूची में सम्मिलित होने से छूट गये हों और जिन्हें बी0पी0एल0 राशन कार्ड, अन्त्योदय योजना या किसी अन्य पेंशन योजना यथा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा विकलांग पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी मुख्य रूप से परिवार की महिला मुखिया होगी। महिला मुखिया न होने की दशा में पुरूष मुखिया को लाभार्थी बनाया जा सकेगा। इस योजना के अन्तर्गत चयनित परिवार को रू0 400/- प्रति माह की दर से दो छमाही किस्तों में पेशन की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। लाभार्थी द्वारा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खाता खोलकर योजना का लाभ लिया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस योजनान्तर्गत अनुदान संख्या 81 के अन्तर्गत रू0 1100.00 लाख अनुदान संख्या 80 के अन्तर्गत रू0 46279.52 लाख तथा अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत रू0 63805.44 लाख कुल रू0 111184.96 लाख का बजट प्राविधान है।